न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 50 / 2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 08.07.2025 निर्णय दिनांक : 21.11.2025

उनवान

1. रामनिवास पुत्र गुलझारीलाल पुत्र प्रभाती पुत्र झुंथाराम जाति डाकौत निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड़ हाल आबाद भिवानी हरियाणा। – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान,
2. शिवलाल पुत्र धंशीराम,
3. रविन्द्र पुत्र दयाराम पौत्र धंशीराम
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम बिचपुरी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
4. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान। – अप्रार्थीगण
5. द्रोपती पत्नी श्री मामचन्द
6. अजय पुत्र श्री मामचन्द
7. राकेश पुत्र श्री मामचन्द
8. रवि पुत्र श्री मामचन्द
9. रिंकू पुत्री श्री मामचन्द
10. कैलाशी देवी पत्नी श्री महेन्द्र
11. अनिल पुत्र श्री महेन्द्र
12. राजेश पुत्र श्री महेन्द्र
13. पिंकी पुत्री श्री महेंन्द्र
14. हंसराज पुत्र श्री भोहीराम
    समस्त जाति डाकौत निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
15. मामचन्द पुत्र श्री ताराचन्द पुत्र प्रभाती पुत्र झुंथाराग
16. सत्यनारायण पुत्र श्री गुलझारी पुत्र प्रभाती पुत्र झुंथाराम,
17. कृष्ण पुत्र श्री गुलझारीलाल पुत्र प्रभाती पुत्र झुंथाराम
18. नत्थूराम पुत्र श्री हजारीलाल पुत्र श्री प्रभाती पुत्र झुथाराम
19. विमला देवी पत्नी श्री बाबुलाल पुत्र हजारीलाल पुत्र प्रभाती पुत्र झुंथाराम
20. विजयं पुत्र श्री बाबुलाल पुत्र हजारीलाल पुत्र प्रभाती पुत्र झुंथाराम
21. ममता पुत्री श्री बाबुलाल पुत्र हजारीलाल पुत्र प्रभाती पुत्र झुंथाराम
22. आशा पुत्री श्री बाबुलाल पुत्र हजारीलाल पुत्र प्रभाती पुत्र झुंथाराम
    समस्त जाति डाकौत निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड हाल आबाद भिवानी हरियाणा
23. रविन्द्र पुत्र श्री गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द
24. जितेन्द्र पुत्र गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द
25. गायत्री देवी पुत्री श्री गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द
26. सुदेश देवी पुत्री श्री गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द
27. ज्योति पुत्री पुरूषोतम पुत्र गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द
28. रवि पुत्र श्री पुरूषोतम पुत्र श्री गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द
29. शशि पुत्री पुरुषोतम पुत्र श्री गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द
30. कुसुम पुत्री पुरुषोतम पुत्र श्री गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द
31. माया देवी पत्नी पुरुषोतम पुत्र श्री गीता पत्नी श्री पूर्णचन्द

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

समस्त जाति डाकौत निवासी ग्राम कैरू तहसील व जिला भिवानी, हरियाणा।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री अनुप शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री संजय यादव – अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 03 की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी प्रकरण मामचन्द बनाम शिवलाल वगै0, प्रकरण संख्या 262/2014 मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 03 की ओर से वकील श्री संजय यादव ने वकालतनामा पत्र पेश किया एवं जवाब पेश ना कर सीधी बहस करना जाहिर किया।
3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता मामचन्द पुत्र भोहीराम ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष एक वाद बाबत इश्तकरारहक एवं हुक्मईम्तनाई बअनुवानी मामचन्द बनाम शिवलाल वगैरा मुकदमा नम्बर 262/2014 व स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण / प्रतिवादी, संख्या 02 लगायत 03 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को तलब किये जाने पर अप्रार्थी / प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किये जाने पर वाद पत्र में तनकीयात किये जाने के उपरान्त प्रकरण में साक्ष्य वादी पूर्ण होने के उपरान्त वर्तमान में पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत है एवं प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय ने अनेको अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आज दिवस तक साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं की अपितु दिनांक 19.06.2023 को दस्तावेज रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 01 प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तदउपरान्त साक्ष्य प्रतिवादीगण में अनेको अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नही की अपितु पुनः दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने हेतु एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना प्रार्थी को सुने कानून के विपरीत जाकर अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को स्वीकार करने पर उतारू हो रहे है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारीज करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी के आचरण से यह स्पष्ट है कि वे अप्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध जॉकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के वाद को खारीज करने पर आमादा है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है ऐसी सूरत में अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के रिबिटल में प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को नुकसान होने का पूरा पूरा अंदेशा है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 राजनैतिकं पहुंच वाले व्यक्ति है जबकि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण एक काश्तकार व्यक्ति है एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अपनी राजनैतिक पहुंच का नाजायज फायदा उठाते हुये अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दवाब बना अप्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने पर आमादा हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थीगण के द्वारा लगाये जाने वाले राजनैतिक दवाब के

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

कारण प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत कर अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र को खारीज करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के राजस्व न्यायलय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है।

अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन वाद बअनुवानी मामचन्द बनाम शिवलाल वगैरा मुकँदमा नम्बर 262/2014 मय स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से जिले के अन्यत्र राजस्व न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने के आदेश सादिर फरमावे।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 03 ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्रभावी है, जिसे प्रार्थी लम्बित रखने के उद्देशय से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को लम्बा खींचने एवं जमीन को नाजायज रूप से मुकदमाबाजी में उलझायें रखने की योजना से झूठा मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

6. उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने अपने पत्रांक कोर्ट/2025/914 दिनांक 27.07.2025 के द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आरोप अस्वीकार है। वर्तमान में पत्रावली वारिसान के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 जा0 दी0 के जवाब में विचाराधीन है। यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

7. वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने उपरान्त स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन वाद बअनुवानी मामचन्द बनाम शिवलाल वगैरा मुकदमा नम्बर 262/2014 मय स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से जिले के अन्यत्र राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्रार्थी को मिला हुआ है तथा पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 जा0 दी0 के जवाब पेश करने हेतु लम्बित है, जो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में शंका जाहिर की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जावेगा। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं। इस प्रकार केवल शंका के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़